न्यायालय राजस्व मण्डल,म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एम0के0सिंह

सदस्य

अपील प्रकरण क्रमांक 1221/पीबीआर/2004 - विरूद्ध आदेश दिनांक 21-12-1995 - पारित व्दारा - अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना - प्रकरण क्रमांक 176/1990-91 अपील

निजाम खाँ पुत्र ख्वाजा वक्स मुसलमान
निवासी कर्लीदे का पुरा बामौरगांव
परगना व जिला मुरैना मध्य प्रदेश ----अपीलांट

विरूद्ध

मध्य प्रदेश शासन ---रिस्पा0

(अपीलांट के अभिभाषक श्री एस0के0अवस्थी)
(रिस्पा0के पैनल लायर श्री डी0के0शुक्ला)

आ दे श

(आज दिनांक 15-12-2015 को पारित)

यह अपील अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक 176/1990-91 अपील में पारित आदेश दिनांक 21-12-1995 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 44 के अंतर्गत प्रस्तुत हुई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि आवेदक ने कलेक्टर मुरैना को आवेदन देकर बताया कि ग्राम बामौर कलॉ स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 121 रकबा 5 वीघा 17 विसवा एंव 50 रकबा 9 वीघा 5 विसवा शासकीय अभिलेख में नहर एक्ट्रा नजूल अंकित है किन्तु भूमि मौके पर काविलकास्त है इसलिये काविलकास्त की

जाकर पटटे पर कृषि हेतु प्रदान की जावे। कलेक्टर मुरैना ने प्रकरण क्रमांक 38/90-91 अ 60 दर्ज किया तथा वाद जांच आदेश दिनांक 5-4-1991 पारित कर आवेदक का आवेदन अमान्य कर दिया। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, चम्बल संभाग मुरैना के समक्ष अपील होने पर प्रकरण क्रमांक 176/90-91 अपील में पारित आदेश दिनांक 21.12.1995 से अपील अस्वीकार की गई है इसी आदेश के विरूद्ध यह द्वित्तीय अपील की गई है।

3/ अपीलांट के अभिभाषक के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ अपीलांट के अभिभाषक के तर्कों पर विचार करने एंव अपील मेमो में अंकित बिन्दुओं के अवलोकन उपरांत कलेक्टर मुरैना व्दारा प्रकरण क्रमांक 38/90-91 अ 60 में पारित आदेश दिनांक 5-4-1991 तथा अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण क्रमांक 176/1990-91 अपील में पारित आदेश दिनांक 21-12-1995 के परीक्षण पर स्थिति यह पाई गई कि ग्राम बामौर कलॉ स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 121 रकबा 5 वीघा 17 विसवा एंव 50 रकबा 9 वीघा 5 विसवा शासकीय अभिलेख में नहर एक्ट्रा नजूल अंकित है अर्थात यह भूमि कृषि मद की भूमि न होकर नगरीय नजूल भूमि है। म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 234 सहपठित 237 तथा कृषि हेतु भूमि के आवंटन नियम राजस्व पुस्तक परिपत्र चार-3 के अवंलोकन पर स्थिति यह है कि नजूल भूमि , जो शासकीय अभिलेख में नहर एक्सट्रा नजूल भूमि अंकित है , का मद परिवर्तित कर कृषि कार्य हेतु आबन्टन नहीं किया जा सकता , क्योंकि सर्वप्रथम नहर अंकित होने से जल सँशाधन विभाग से अनापत्ति प्राप्त नहीं हो

सकेगी, वहीं दूसरी ओर नहर एक्सट्रा नजूल भूमि, जो नगर क्षेत्र स्थित है, नगर क्षेत्र में होने के कारण कृषि योग्य न होने से कृषि कार्य हेतु आवन्टन करना संभव नहीं होने से कलेक्टर मुरैना ने आदेश दिनांक 5-4-91 से भूमि आवंटिन नहीं किये जाने का निर्णय लेने में किसी प्रकार की त्रृटि नहीं की है जिसके कारण अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक 176/1990-91 अपील में पारित आदेश दिनांक 21-12-1995 से कलेक्टर के आदेश के हस्तक्षेप योग्य नहीं माना है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपील सारहीन होने से निरस्त की जाती है फलतः अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक 176/1990-91 अपील में पारित आदेश दिनांक 21-12-1995 विधिवत् पाये जाने से स्थिर रखा जाता है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर